THE COMPULSORY VOCATIONAL EDUCATION BILL, 1990

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

शैक्षणिक संस्थानों में अनिवार्य व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा प्रदान कराने और उससे संबंधित मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

The question was put and the motion

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1990

(Insertion of new Article 18A)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

The question was put and the motion was adopted.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

THE RAILWAYS PASSENGERS' INSURANCE SCHEME BILL, 1990

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : (बिहार) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

रेल यात्रियों की जान, सामान और अन्य माल असबाब के लिए व्यापक बीमा योजना और उससे संबंधित मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

The question was put and the motion was adopted.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

THE CONSTITUTION (AMENDMENT)' BILL, 1990

(To amend Article 51A)

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was. put and the motion was adopted.

SHRI JOHN F. FERNANDES: Sir, I introduce the BiR..

THE AGRICULTURAL WORKERS' (MINIMUM WAGES AND WELFARE)-BILL, 1986. (Contd.)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Shri Ramdas Agarwal—Not here. Shri Ram Awadhesh Singh^Not here. Shrimati Bijoya Chakravarty—Not here. Shri Ram Jethmalani—Not here.

Now we will take up'the Agricultural Workers (Minimum Wages and Welfare) Bill, 1986 Mr. Shanti Tyagi.

श्री शांति त्यागी (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन, पिछली बार माननीय बलराम जी के खेत-मजदूरों संबंधी विधेयक पर अपनी स्पीच शुरू करते हुए मैंने कहा था कि मैं विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खेत-मजदूरों की दशा के बारे में कहूंगा। मैं मानता हूं कि शेष भारत में भी खेत-मजदूरों की हालत और भी खराब है, और बदतर है। मैंने यह भी कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि-मजदूर की बहुत बड़ी संख्या शेड्यूल्ड कास्टस, पिछड़ी जातियों और मुस्लिम सम्प्रदाय में से आती है और अब बिहार के मजदूर भी पश्चिमी-उत्तरप्रदेश में काम करने के लिए आने लगे हैं, उनकी तादाद बढ़ रही है।

श्रीमन, एक तो व कृषि-मजदूर हैं, जो साल के साल धनी किसानों की खेती में काम करते हैं। ये मजदूर उनकी मशीनों पर, ट्यूबवेल पर, थ्रेशर पर और पावर के जो कोल्हू चलते हैं, उन पर काम करते हैं और दूसरे ऐसे काम करते हैं। धनी किसानों के यहां सालाना काम करने वाले ये जो मजदूर हैं, इनकी तादाद बहुत कम है, बहुत ज्यादा लोग ये नहीं हैं। धनी किसानों के यहां उनकी खेती में काम करने वाले साल भर के जो रेगुलर मजदूर हैं, उनके अलावा सीजनल मजदूर भी काम करते हैं बुआई के वक्त, कटाई के वक्त और ऐसे ही मौकों पर।

श्रीमन, धनी किसानों के अलावा एक केटेगरी और है, जो खाली उत्तरप्रदेश में ही नहीं, सब जगह है मिडिल किसान और कुछ छोटा किसान। इनके यहां भी साल में कभी-कभी वक्त पड़ने पर, काम की अधिकता होने पर मजदूरों की जरूरत रहती है। महीने में, साल भर में कहिए, कभी-कभी दस-बीस रोज के लिए इनको भी दिहाड़ी मजदूरों को रखना पड़ता है।

श्रीमन, यह जो सालाना मजदूर काम करते हैं धनी किसानों के यहां, मंत्री जी नहीं सुन रहे आप, मालवीय जी जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनकी जो माहवारी तनख्वाह है, हैं वे साल भर के लिए...

प्रति माहवार तनख्वाह जो है वह 300 या 400 रुपए माहवार की है इस वक्त और सुबह का नाश्ता, जिसमें दो रोटी या कुछ सब्जी उनको मिलती है। यह है मोटे तौर पर एक माहवार तनख्वाह जो साल भर मजदूरी करते हैं उनकी और जो दैनिक वेतन पर काम करते हैं उनकी तनख्वाह 15 या 20 रुपए रोज की है। यह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि मजदूरों की सामाजिक बनावट, जाति बनावट या उनकी गुजर-बसर का नक्शा।

मान्यवर, जो लाखों मजदूर वहां पर हैं या कहीं पर भी हैं, इनको साल भर में मेरे ख्याल में दो तीन महीने के लिए ही काम मिलता है और बाकी टाइम यह बेकार रहते हैं। बेकार का मतलब यह कि वे किसानों के यहां काम नहीं करते हैं और एक-दो भैंस रखकर, मवेशी रखकर, पशुपालन करके अपना जीवनयापन करने की कोशिश करते हैं लेकिन ठीक से उनके परिवार का भरण-पोषण भी नहीं होता है। अब आप कृपा करें और निगाह डालें कि उनकी रहने की कंडीशन्स क्या हैं। मान्यवर, कच्चे मकान हैं या झोंपड़ियों में निवास कर रहे हैं, मोहल्लों में गंदगी है और उनके एम्प्लायर, जो धनी किसान हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वे उनको कोई झोंपड़ा या कोई कोना किसी मकान में प्रोवाइड करें, उनकी यह कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर मजदूर बीमार हो गया तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है और अगर कोई एक्सीडेंट हो गया-ट्रेक्टर पर, ट्यूबवेल पर, थ्रेशर पर या पावर कोल्हू पर, तो उनकी गरज से सौ दफा हो उनको कोई मुआवजा नहीं देना है और उनके इलाज का भी कोई इंतजाम नहीं करना है। यह हालत है उनकी वर्किंग कंडीशन्स की, यह हालत है उनकी लिविंग कंडीशन्स की! उपसभाध्यक्ष जी, यह दशा खेत मजदूरों की उत्तर प्रदेश में है और हरियाणा तथा पंजाब में भी ऐसी ही है। पूरे यू.पी., बिहार और राजस्थान में इससे कहीं ज्यादा खतरनाक हालत है और बड़े अफसोस की बात है कि कानून बने हैं राज्यों में मगर कानून धूल चाट रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं इस माननीय सदन के सामने कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां मजदूरों का आर्थिक शोषण हो रहा है, सामाजिक शोषण हो रहा है, वहां आप यह भी समझें कि कभी-कभार नहीं बल्कि ज्यादातर जगहों पर जो वोट डालने का अधिकार है, उससे भी वे वंचित रखे जाते हैं और मैं आपसे कहूंगा इस सदन में कि आज यह सरकार बैठी हुई है और उसके जो घटक हैं, वह भी यह कार्रवाई करते हैं कि गरीब मजदूरों, हरिजनों और खेत मजदूरों को वोट डालने के लिए बक्से तक भी नहीं जाने देते। यह कार्रवाई

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी होती है और हरियाणा में भी।

जब एक सवाल उठा था मजदूरों की यूनियन बनाने की। मैंने पासवान जी से कहा था कि हम दोनों चलें और यह यूनियन बनाकर देखें, लेकिन यह बड़ा मुश्किल काम है। मजदूरों की यूनियन बने तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन होता क्या है कि गांवों में कई किस्म के लोग हैं—कोई खेती में काम कर रहे हैं, कुछ पशु-पालन कर रहे हैं तो कुछ दस्तकार हैं। अब अगर "गरीबों की यूनियन" नाम रखें तो मुश्किल है, कई किस्म के मजदूर आ गए। 'खेत मजदूरों की यूनियन' रखें तो वह अकेले रहेंगे। यहां तक कि ग्रामीण मजदूरों की भी अगर आप यूनियन बनायेंगे तो तमाम किसान, किसी भी जाति के हों—छोटा हो, बीच का हो या ऊंची जाति का हो, सब मिलकर एक जट खड़े हो जाते हैं और यूनियन को कुचलने की कोशिश करते हैं। मजदूरों को तरह-तरह के प्रलोभन देते हैं और इस तरह से यूनियन को तोड़ने की कोशिश करते हैं। यह वहां की सामाजिक बात में आ गया है कि कोई भी किसान, हो, गरीब भी हो, मगर वह भी यह टालरेट करने को तैयार नहीं है कि मजदूर लोग अपनी सभा बना लें, इसके लिए वह तैयार नहीं है।

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आजादी के 43 सालों में अगर कोई यह कहना चाहे इस सदन में या बाहर भी कि कुछ काम हुआ ही नहीं गरीबों के लिए, खेत मजदूरों के लिए राज्यों में या केन्द्र में तो यह अपमान करना है पालियामेंट का, यह अपमान है राज्य विधान सभाओं का और यह अपमान करना है उन तमाम नेताओं का जिन्होंने गरीबों को, खेत मजदूरों को और देश के गरीबों को ऊपर उठाने के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए और उनकी जिंदगी को ऊपर उठाने के लिए कानून बनाये और जो बहुत सी योजनायें बनाई, यह उनका तिरस्कार करना और अपमान करना है। मान्यवर, यह ठीक है कि 43 सालों में और बहुत कुछ भी हो सकता था लेकिन यह बात मत भूलिये इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने अपने जमाने में जब प्रधान मंत्री थे, गरीबों के लिए बहुत कानून बनाये हैं संसद में भी, स्टेटस में भी, मगर नौकरशाही फ्यूडल एलीमेंटस ने मिलजुलकर यह चेष्टा की है कि इन कानूनों को गांव में इम्प्लीमेंट न होने पायें या कम से कम इम्प्लीमेंट हों। श्रीमान मैं अंत में निवेदन करूंगा, आप मुझे समझने की कोशिश करें माननीय मंत्री जी, मैं खुद एक किसान हूं, गरीब तो नहीं कहूंगा लेकिन हां अच्छी खेती करता हूं। यादव जी आपको भी कह रहा हूं कि अगर कोई कानून आप बनाना चाहते हैं संसद में तो बहुत व्यापक बनाना चाहिए, मैं उसकी पैरोकारी कर रहा हूं। मगर टाटा, बिरला के कारखानों में, अध्यक्ष जी सुने, टाटा बिरला के कारखानों में जो वेतन, प्राविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, वर्दी, छुट्टी, बोनस, मकान यह जो सुविधायें हैं अगर गांव के मजदूरों को, खेत मजदूरों को किसानों से आप दिलवाने की चेष्टा करेंगे तो यह मामला इसमें भी गड़बड़ होगा जैसा कि मंडल कमीशन पर आ कल हो रहा है। मैं यह बोल रहा हूं, मैं मंडल कमीशन का विरोधी नहीं हूं आप जानते हैं। जैसा मैंने कहा कि जो हालात गांव में है, किसान की जो आर्थिक जीवन है, उससे मिली हुई क्या चीज निकल सकती है मजदूरों के लिये तनख्वाह की और जो दूसरी रियायतें हैं, यह कोशिश करनी चाहिए।

एक व्यापक कानून बने और एग्रीकल्चर लेबर का अलग विभाग बने सेंट्रल में, राज्यों में अलग विभाग बने और जो विवाद तनख्वाह के बारे में एम्प्लायर और मजदूरों के बीच उठते हैं उनको हल करने के लिए कोई लीगल फोरम जिलों में या सूबे में कहीं न कहीं बनने चाहिए ताकि यह विवाद बहुत जल्दी हल हों और आपस में मारामारी न हो, यह भी जरूरी है। इस व्यापक कानून में जो मुद्दे मैं उठाना चाहता हूं, तनख्वाह तो पहले भी बहुत से राज्यों में कानून बनाकर निर्धारित की जा चुकी है, अब प्राइस राइज बहुत हो चुकी है अब जो कानून बने, संक्षेप में मैं कह रहा हूं, आपको उसमें न्यूनतम मजदूरी

[श्री शांति त्यागी]

काम के घंटे—इसमें रात को भी काम करना पड़ता है। किसानों को रात में बिजली मिले, ट्यूबवैल पर रात को जाना पड़ेगा। अगर ओवर टाईम करता है तो मालिक के लिए चाहे जमींदार हो, चाहे मध्यम किसान है यह जरूरी है कि ओवर टाईम का पेमेंट भी मजदूरों को करना चाहिए। तो न्यूनतम वेतन, काम के घंटे, ओवर टाईम का पेमेंट, बीमारी में इलाज, एक्सीडेंट में कुछ मुआवजा और साल में कम से कम दो वर्दी चाहे खद्दर की हो या यूनि-फार्म मजदूरों को मिलनी चाहिए। बड़ा महंगा कपड़ा पड़ता है मजदूरों को, कोई भी जमींदार दे सकता है दो वर्दी और बच्चे व महिला श्रमिकों के लिए विशेष प्रावधान होना चाहिए और यह जो व्यापक कानून बनायें इसमें इन मुद्दों के ऊपर लेजिस्लेशन अवश्य होना चाहिए। अंत में, मैं आपसे कहूंगा कि यह जो आप गिनती करते हैं कि 8 करोड़ लोग हैं, 10 करोड़ लोग हैं बहुत गरीब लोग हैं, खेत मजदूर हैं और लोग भी हैं, इस माननीय सदन में यह चर्चा हो रही है बहुत अच्छी बात है और इतनी आप नोट करलें, जब चर्चा यहां हो रही है या तो यह काम आप करिये इनके लिए और जितनी जल्दी करें अच्छा है, वरना इन गरीबों में भी नई चेतना पैदा हो रही है और यह कुछ नये सपने अपने उज्ज्वल और सुखद भविष्य के लिए देख रहे हैं और अभी बहुत वक्त है, ज्यादा नहीं है, वक्त है, मगर आप कुछ कानून बनायें इनके सुखद भविष्य के लिए अन्यथा यह अपना रास्ता खुद बनायेंगे और यह रास्ता उथल पुथल का होगा आराम का नहीं होगा। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि माननीय बलराम जी का विधेयक यह सदन स्वीकार करे और अगर यह मुमकिन नहीं है और वह विदड्रा करें तो कम से कम जो भावनायें उन्होंने अपने विधेयक में और अन्य माननीय सदस्यों ने यहां पर रखी हैं, उनको सरकार ग्रहण करके एक व्यापक कानून कृषि मजदूरों के लिए बनाना चाहिए। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : जाधव जी, आप पांच मिनट में खत्म कर देंगे। आपको जाना है, आप बोल रहे थे।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव (महाराष्ट्र) : हां, मैं शुरू करके ही समाप्त करूंगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे बलराम जी ने एग्रीकल्चर वर्कर्स के लिए मिनिमम वेजेज और वैल्फेयर बिल रखा है, यह बहुत अच्छा बिल है और मैं इसका समर्थन करता हूं लेकिन उसके ऊपर मेरे कुछ रिजर्वेशन्स हैं। बलराम जी भी अच्छी तरह से जानते हैं, यह सदन और पूरा देश यह जानता है कि इस देश की 70 प्रतिशत जनता ग्रामों में रहती है और कृषि पर निर्भर करती है। उसमें से 50 प्रतिशत खेतिहर मजदूर हैं जो खेतों में काम करते हैं। जब हम किसानों की तरफ देखते हैं तो किसानों में भी 70-80 प्रतिशत किसान 5 एकड़ से कम जमीन की होल्डिंग रखते हैं। जब हम जमीन की पर-कैपिटा होल्डिंग निकालते हैं तो वह 27 गुण पर हैड आती है। एग्रीकल्चर पर यह जो इतना बड़ा प्रेशर है, यह जो 55-60 करोड़ लोग गांवों में रहते हैं और कृषि पर निर्भर हैं, इन सारे लोगों की जीविका का जो मुख्य साधन है वह खेती है और जब हम उन लोगों की आर्थिक स्थिति की तरफ देखते हैं तो हमें दुःख होता है। हम इस सदन में और दूसरे सदन में भी शहरों में जो झोंपड़-पट्टी में रहने वाले लोग हैं, स्लम्स में रहने वाले लोग हैं उनकी समस्याओं के बारे में सवाल उठाते हैं मगर देहात में 70 से 75 प्रतिशत लोग ऐसे घरों में रहते हैं जिनकी परिस्थिति स्लम्स से भी ज्यादा खराब है। उनमें हरिजन हैं, गिरीजन हैं, माइनोरिटीज के लोग हैं।

तीन बुनियादी बातें जो मानी गई हैं रोटी, कपड़ा और मकान वह तो हमारे देश में कम से कम हरेक आदमी को मिलनी चाहिए, यह उसका बेसिक राइट है। अभी जो यह राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार आई है, जनता दल की सरकार आई है उन्होंने तो "राइट टू वर्क" विधेयक लाने का वायदा किया है। वह तो बिल्कुल ठीक

बात है। यह कांस्टिट्यूशन में भी है। माफ कीजिए कांस्टिट्यूशन में यह नहीं है फिर भी हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास जो कुल काम उपलब्ध है उससे कहीं ज्यादा संख्या में कामगार उपलब्ध हैं। तो पहली बात तो यह है कि काम का बंटवारा कैसे हो।

उपसभाध्यक्ष जी, बलराम जी ने अपने बिल के क्लाज 5 में कहा है कि——

"No employer shall engage any agricultural worker unless he has registered himself with the Authority."

मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन सी एथारिटी में उनका रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उसके बारे में मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। उन्होंने लिखा है कि——

"If an unregistered employer engages any person for working on his land he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with both."

क्लाज 9 में उन्होंने लिखा है कि——

"Every employer shall pay a minimum of rupees six hundred per month or rupees twenty per day to a worker engaged by him for work on his land, and this rate of wages shall be subject to change in accordance with the rise in prjce index."

यह तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। आज अगर हम देखें तो 20–25 रुपये रोज भी कम पड़ते हैं। प्रश्न यह उठता है कि यह वेजेज देने वाला कौन है ? यह देने वाली सरकार नहीं है, यह देने वाला इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, यह देने वाला कोई सदन का आदमी नहीं है, यह देने वाला है भारत का किसान। अगर किसान की हालत अच्छी है तो किसान कभी अपने कामगारों को, अपने मजदूरों को भूखा नहीं मारना चाहता है। मैं खुद एक किसान हूं और मैं उनकी हालत अच्छी तरह से जानता हूं। हमारे यहां महाराष्ट्र में 4000–5000 रुपए, से कम सालाना कोई भी नौकरी पर नहीं आ सकता है। जैसे-जैसे इरिगेशन बढ़ता जा रहा है, पंजाब में तो 40 रुपए रोज मजूरी मिलती है मगर जब प्राइस-इंडेक्स भी उतना ही बढ़ता है, जब इन्पूट्स की कौस्ट बढ़ती है तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि जो देने वाला है यह भी किसान ही है। यह उस भूमि का मालिक नहीं है, यह

3-00 P.M. लेबर है, उसको करने वाला है और वहां पर जो यंत्र हैं उनसे खेती करता है और पूरे देश के लिए, अनाज पैदा करता है। मगर उसकी हालत के बारे में नहीं सोचा जाता है। मैं कहता हूं कि हर मजदूर को महीने में एक हजार रुपया कम से कम मिलना चाहिए, उससे कम पर बसेरा नहीं होता। लेकिन जो किसान है उनकी हालत भी तो एक हजार रुपए, उसको देने की होनी चाहिए। जब चौधरी देवीलाल ने भाव बढ़ाए किसानों के अनाज के, जब भजन लाल जी ने बढ़ाए तब टाइम्स आफ इंडिया में कितने बड़े बड़े एडिटोरियल लिखे गए। इस देश में किसानों के बारे में कोई नीति लाते हैं तो पूंजीपति जिनके बड़े बड़े समाचारपत्र हैं, जो उनकी प्रसिद्धि है, वे इसके विरोध में लिखकर इसको हराकर रख देते हैं जैसे मंडल कमीशन पर आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अगर सरकार मजबूत इरादे से खड़ी है तो मंडल कमीशन को लागू किया जाए। लेकिन उन्हीं के दल के बीजू पटनायक साहब ने विरोध किया है और मैंने सुना है कि चिमन भाई पटेल भी खिलाफ जा रहे हैं।

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : हमारे दल में कोई भी खिलाफ नहीं जा रहा है और मंडल कमीशन की सिफ़ारिशें लागू करने के लिए नोटिफ़िकेशन जारी हो गया है..... (**व्यवधान**)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : आज बीजू पटनायक का स्टेटमेंट है कि मंडल कमीशन की सिफ़ारिशों को लागू करने के पक्ष में है... (**व्यवधान**)

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल (पंजाब) : मालवीय जी, जो परसों वाली स्टेटमेंट था वह क्या गलत था ?... (**व्यवधान**)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : उन्होंने कहा है कि वे इसके पक्ष में हैं... (**व्यवधान**)

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : परसों की बात ठीक थी या आज की बात ठीक है? ... (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : दल में दो मत नहीं हैं। कुछ गलतफ़हमियां थीं जैसे कि राज्य सरकारों को डर यह है कि शायद 27 परसेंट जो मंडल कमीशन की सिफ़ारिश को लागू किया गया है, यह केन्द्र सरकार की सेवाओं के साथ साथ राज्य सरकारों की सेवा में भी लागू किया जाएगा। यह बिलकुल बेबुनियाद है। यह केवल केन्द्र सरकार के लिए है। राज्य सरकारों को इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यह वहीं लागू होगा जहां पिछड़ी जातियों को सुविधा मिल रही है और मंडल जो कमीशन में है उसकी समान सूची में जो होगा, उसी पर यह लागू होगा। जैसे राजस्थान है, उड़ीसा है, जहां पिछड़ी जातियों की लिस्ट नहीं हैं, उनके लिए यह सुविधा नहीं है। यह सिर्फ़ कामन सूची के लिए है। वह उनके दिमाग में गलतफ़हमी थी, उसको दूर कर दिया गया है। लेकिन जनता दल में ऊपर से नीचे तक कोई विरोध नहीं है।

श्रीमन मेरा प्वाइंट आफ़ आर्डर है।

डा० अबरार अहमद खान (राजस्थान): मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि ज्यादातर सर्विसेज राज्य सरकारों की हैं, केन्द्र सरकार की कितनी होती हैं? तो उनको कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? आपने जो पहले भाषण में कहा था कि इसे केन्द्र के अंदर लागू करेंगे, उसके बाद राज्य सरकारों पर असर डालेंगे, क्या आपने यह मानस बना लिया है कि आप राज्य सरकारों के ऊपर दबाव नहीं डालेंगे, क्या कार्यान्वयन के लिए उनसे कोई बात नहीं करेंगे? यह विरोधाभास आप पैदा कर रहे हैं, यह तो बड़ी अजीब स्थिति हो गई है... (**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): There is no point of order. I hope the Minister will not enter into this debate.

SHRI N. E. BALARAM (Kerala): Sir, what is the meaning of this? Are we discussing the Agricultural Workers Bill, or the Mandal Commission Report? If they are worried about the Mandal Commission Report, let them speak when that comes up. This is very unfair. We are discussing an entirely different thing. If he has got anything to say about Agricultural Workers Bill, let him speak on it.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: The question, Mr. Balaram, is that all these minorities which come within the purview of the Mandal Commission Report are mostly farm labourers—a majority of them are, isn't it? We want social justice for them. SU7 कोशिश कीजिए। यह सरकार जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, इस सरकार के एक एम०पी०, एक संसद सदस्य ने रेजिगनेशन दे दिया है मंडल कमीशन पर।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): You address the Chair, not the Members.

SHRI N. E. BALARAM: It is a far-fetched argument, gentlemen.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Don't refer to issues which evoke some debate.

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं है किसान और खेतमजदूर का जो नाता है ऐसा नाता है जैसे पानी और दूध का होता है। जैसे दूध में पानी होता है

और पानी में दूध होता है वैसे ही खून का रिश्ता इनका है ।

श्री राम विलास पासवान : कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रस्ताव में क्या पास किया था ?

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : इसका विरोध नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : 10 साल से रिपोर्ट पड़ी हुई थी । न इन्दिरा गांधी ने और न राजीव गांधी ने इसको लागू किया ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Honourable Members will keep in mind that it is a Private Member's Bill.

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : इन्होंने मेरी पार्टी के बारे में कहा है इसलिए मुझे जवाब देना है । कांग्रेस पार्टी की नीति रही है गरीबों को उनका हक दिलाने की । इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि बैकवर्ड क्लास में गरीब लोग हैं वैसे ही फ़ार्वर्ड क्लास में भी काफ़ी गरीब लोग हैं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Please go to the Bill.

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : हिन्दुस्तान के इतिहास में; इस भारत के इतिहास में महान नेता और पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व हुई हैं जिन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम के जरिये इस देश के गरीबों को सम्मान देने की कोशिश की । जब-जब इन्दिरा जी ने कदम उठाये—चाहे वह बैंक के राष्ट्रीयकरण का सवाल हो या और कोई सवाल हो तो उस वक्त भी कुछ लोगों ने इन्दिरा जी का विरोध किया था ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): You have finished the Bill?

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : मैं शुरु कर रहा हूं । हमारे जो बलराम जी ने कहा :

"The Central Government shall by due appropriation constitute a Fund to be called to the Agricultural Workers Welfare Fund for the welfare of agricultural workers."

मैं तो उसके भी आगे जाकर सुझाव देना चाहता हूं । जैसा कि किसान के लिए नाबाड बना हुआ है, बैंक बने हुए हैं उसी धरती पर हमारे देश में इंडियन एग्रीकल्चर लेबरर्स बैंक निर्मित किये जाने चाहिएं । सौ करोड़, हजार करोड़ की पूंजी से बनाया जाए और जो हमारे कृषि पर आधारित खेत मजदूर हैं उनको पूरी तरह से फ़ाइनान्स किया जाए मैं उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं ।

इसके साथ उन्होंने कहा है क्लाज 9 में

"There shall be formulated a Scheme by the appropriate Government for providing pension-cwm-Provident Fund facility to. the workers on their, attaining the age of 5. 5 years. "

यह मैं पूछना चाहता हूं कि यह पेंशन पाने वाला कौन है ? उनको पेंशन देने वाला कौन होगा ? राज्य सरकार होगी या केन्द्रीय सरकार होगी ? इसमें दो राय नहीं कि जो फिजिकल वर्क करते हैं वे तो 45 साल में बढ़े हो जाते हैं और जो फिजिकल वर्क नहीं करते हैं वे 65–70 साल तक अच्छी तरह जी सकते हैं । खेत में काम करने वाले मजदूर रात दिन काम करते हैं, खून पसीना एक करके काम करते हैं उनको पेंशन मिलना जरूरी है यह किसान को दिया जाए । किसान को मदद करने के लिए हम क्या कर रहे हैं ? किसान के लिए कोई अधिक धन राशि देने जा रहे हैं इसका स्पष्टीकरण होना बहुत जरूरी है । उसके बाद कहा है क्लाज-12 में

"No employee shall reject a worker on the ground that he is not capable of performing a particular job. "

[श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव]

इसके लिए नार्म्स हैं। तो इसके बारे में आपका क्या सुझाव वह भी मैं जानना चाहता हूं। इस बारे में भी दो राय नहीं हैं कि लीगल प्रोटेक्शन एग्रीकल्चर वर्कर्स को भी चाहिए। किसानों को प्रोटेक्शन चाहिए, खेत मजदूर को लीगल प्रोटेक्शन चाहिए। इसके बाद एग्रीकल्चरल वर्कर्स के लिए वेल्फेयर बैंक का निर्माण करना चाहिए। एक हजार करोड़ की पूंजी उसमें लगानी चाहिए। उसके बाद,

any agricultural worker or landless worker must be allowed to keep one milch animal.

जो खेत में काम करने वाले खेत मजदूर हैं उनको दूध देने वाली गाय या भैंस या मिल्च एनीमल रखने की अनुमति देनी चाहिए और इसका पूरा खर्चा जो खेत ऑनर है, मालिक है उसका उठाना चाहिए। उसके बाद मैं एक सुझाव देना चाहता हूं,

All agricultural workers should have one Life Insurance Scheme.

उनके लिए एक जीवन बीमा की स्कीम बनानी चाहिए। उसके बाद किसानों और खेत मजदरों में संघर्ष नहीं खड़ा करना चाहिए। आज मंडल कमीशन लाने के बाद इस देश में ऐसा माहौल पैदा हो रहा है कि कहां जाति-जाति में युद्ध होने जा रहा है। कास्ट वार होने जा रहा है। मैं इस सरकार से अनुरोध, करना चाहता हूं कि एग्रीकल्चरल वर्कर को न्याय दिया जाय, उनको बराबर का दर्जा दिया जाय। वे जो खून पसीना बहाते हैं उसका सम्मान किया जाय। किसानों और खेत मजदूरों में संघर्ष नहीं पैदा किया जाय। कृषि हमारे देश की मूलभूत नीति है। खेत मजदूर और किसान हमारे देश की प्रमुख शक्ति रही है। यह बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है। भारत कि अर्थ व्यवस्था कृषि की अर्थ व्यवस्था है। जब दुनियां के दूसरे देशों की तरफ हम देखते हैं तो पाते हैं कि किसी देश की अर्थ व्यवस्था इंडस्ट्री पर निर्भर है और किसी देश की अर्थ व्यवस्था ट्रेड और कामर्स पर निर्भर है। लेकिन हमारे देश की अर्थ व्यवस्था कृषि पर आधारित है। हमारे देश में 70 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। इस सरकार ने कहा है कि हम एक नई कृषि, नीति, कंसोलिडेटड एग्रीकल्चरल पालिसी लाएंगे। हम चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी यह नीति लायें, इसकी आज बहुत जरुरत है। हम मांग करते हैं कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाय। जब तक हमारे खेत मजदूरों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा देश उन्नति नहीं कर सकता है। किसानों के पास पैसा नहीं होता है। दाता के पास ही पैसा नहीं होगा जो पाता कहां से पैसा पाएगा। दाता और पाता की बात प्रधान मंत्री ने भी कही है। दाता तो बहुत ऊंचे हैं, टाटा और बिरला करोड़ों रुपया कमाते हैं। यहां पर एक सवाल आया कि सम्राट होटल में तीन अफसरों पर 36 हजार रुपये खर्च हुए, । हमारे देश की परकैपिटा ,नकम दो हजार रुपये से ज्यादा नहीं है। इसलिये हमें गम्भीरता से इस पर विचार करना चाहिए। हमारे समाज में बहुत से लेप्सेज हैं, जिनको दूर करने की जरुरत है। हमें किसानों और खेत मजदूरों को न्याय देना होगा। बुनियादी बात यह है कि हमें किसानों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इसको राम विलास पासवान और विठ्ठलराव जाधव या कोई अन्य अकेले नहीं कर सकते हैं। हमें किसानों को सशक्त करना चाहिए। जब तक किसान और मजदूर सशक्त नहीं होंगे तब तक देश उन्नति नहीं कर सकता है। किसान और खेत मजदूर को साथ साथ चलना चाहिए। हमारे देश में काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसान और खेत मजदूरों, करखानों में काम करने वाले मजदूर जो काम करते हैं उसको प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए।

आप जानते हैं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर हमारे महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, उन्होंने उसका स्वागत किया है। जो भी झगड़े हो रहे हैं वे इधर हो रहे हैं जहां इनकी सरकारें हैं। श्री चिमनभाई मेहता को पता है कि हमारे महाराष्ट्र में बहुत पहले से, पिछले 15 सालों से, रोजगार

योजना चल रही है । हमारे मुख्य मंत्री श्री वंसत दादा पाटिल और श्री बसंतराव नायक ने कहा था कि महाराष्ट्र में एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसको रोजगार नहीं मिलेगा । कांग्रेस का उद्देश्य समाज से आर्थिक विषमता नष्ट करना है । लेकिन यह सरकार समाज में विघटन पैदा कर रही है । महाराष्ट्र आज भी उस रोजगार की योजना को चला रहा है । पंडित जवाहरलाल नेहरु का और इंदिरा जी का सपना था कि इस देश की एकता बनी रही । लेकिन आज की यह सरकार इस एकता को नष्ट कर रही है, भंग कर रही है । नये नये तरीकों से झगड़े पैदा कर रही है । कृपा करके आप किसानों और खेत मजदरों में झगड़ा मत पैदा कीजिये । इस देश की 70 प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर करती है । ऐसी नीति लाइये जिससे सब में भाईचारा पैदा हो और समाज में जो डेफिसिएन्सीज हैं उनको दूर कीजिये । आप किसानों और खेत मजदूरों को न्याय दिलाने का काम कीजिये ।

SHRI PRAVAT KUMAR SAMANTARAY (Orissa): While appreciating the Bill moved by my esteemed colleague, Mr. N. E. Balaram, I would like to point out that he has given a thought to the question of minimum wages and welfare of the agricultural workers.

These agricultural labourers are working throughout the country and I must say that the nation is proud of them. These people have got nothing out of our political gambling and quarrelling here and there. They don't belong to any political party, they do not belong to any religion and they do not belong to any caste. They are above everything. The only thing is that they toil and work but get nothing. After 42 years of independence, a Bill has been moved by a member, who really has given thought to it to ensure that something is done for them. My friend Shri Jadhav said that Kjsans arE paying from their pockets for these labourers. That is not a fact. There are three categories of agriculturists in his country—the marginal farmers, nedium farmers and large farmers. Unless the status of industry is given 0 the agricultural sector, these facili-ies and privileges intended through ; his Bill cannot be extended to these poor workers.

"We have given these benefits and privileges in the organised sector in the small-scale industries, medium-scale industries and large-scale industries. If we think of the marginal farmers, the argument given by Mr. Jadhav is justified because the marginal farmer hires the services of a fellow farmer in this farming, work. But in the case of medium and large-scale farmers, those who actually engage the workers and exploit their labour without giving them the minimum requirement for their livelihood, so Mr. Yadavas argument does not apply at all. They do not have security—socially and economically. They do not get medical facilities. You will be surprised that this Bill is being objected to only by those who engage labourers for their field work and who never do work by themmselves.

In Clause 5 of this Bill, it has been rightly pointed out that the employers must gvit themselves registered. I must say this registration should be done *vf* the case of the medium and large-scale farmers. As we are maintaining Savings Banks account, they should have some such thing so that land records are available to the sub-registrars to find out who is a medium-scale farmers and who is a large-scale farmer. On this basis the Government can impose registration of this class of farmers in order to register themselves as employers under the category of industry to extend the facility that is intended in this Bill.

I once again endorse my full support to this Bill, but before I concede I would say that I also hope that the Goveinment of India will come forward, with a Bill to give more benefits to the. agricultural workers throughout the country.

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर चर्चा हो रही है मजदूरों के समस्याओं के बारे में यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। मेरा निवेदन यह है कि जनता दल की सरकार, नेशनल फ्रंट की सरकार यह प्रयास कर रही है कि मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधरे और उनकी समस्याएं हल हो जाएं। मेरा अनुरोध यह है कि इसके बाद गुरुदास दासगुप्त जी का बिल है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद से संबंधित है। इसलिए मैं यह चाहता था कि इस में लोग थोड़ा थोड़ा समय लें ताकि गुरुदास दासगुप्त जी का बिल विचार के लिए आज ही आ जाए। यद्यपि मेरी उनके संशोधन से सहमति नहीं है (**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN **(SHRI** BHASKAR **ANNAJI MASODKAR):** I cannot ask them.

डा. अबरार अहमद खान : सरकार इतनी सजग है कि कृषि से संबंधित विषय पर चर्चा हो रही है और न कृषि मंत्री विराजमान है, न प्रधानमंत्री विराजमान है। कृषि से संबंधित मामला है। (व्यवधान) हर चीज का स्पेशलाइजेशन होता है, इसलिए माननीय मंत्री जी को यहां होना चाहिये। उन्होंने कहा कि सरकार बहुत सजग है। मैं उनकी सजगता का प्रमाण बता रहा हूं कि कृषि से संबंधित मामला है लेकिन प्रधानमंत्री यहां मौजूद नहीं है। मजदूरों से संबंधित मामला है लेकिन श्रम मंत्री उठ कर के चले गये। क्या इस को आप सही बता रहे हैं (**व्यवधान**)

श्री ईश दत्त यादव : लोकसभा में किसी कमेटी का वोट डालना है वह वोट देने गये हैं। मेहता जी हैं।

डा. अबरार अहमद खान : इस सदन का मंत्रियों द्वारा बराबर अपमान किया जाता है। गृह मंत्री मफ्ती मोहम्मद सईद तो इधर आना ही भूल गये। हमेशा राज्य मंत्री को यहां भेज देते हैं। उन्होंने इस सदन को अपर हाऊस के बजाय लोअर हाऊस बना दिया है। (**व्यवधान**) कृषि एवं श्रम मंत्री को आना चाहिये।

TEE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI CHIMANBHAI MEHTA); Mr. Vice-Chairman, Mr. Ram Vilas Paswan has gone to the Lok Sabha for some work. He vill be coming here very soon and in the meantime...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Do you want to respond to this? • ■

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: No.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Then, why are you • •. (Interruptions) ... If you want to respond, we will have to go again. You need not respond

SHRl SHABBIR AHMAD SALAR. IA (Jammu and Kashmir): The question is, Mr. Paswan has gone without seeking the permission of the Chair. That is the question,

SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE (Gujarat): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am supporting the Agricultural Workers (Minimum "Wages and Welfare) Bill moved by my hon. friend, Mr. N. E. Balaram. At this stage I will not move my amendments but speak only on few aspects of the Bill. It is a good thing that this Bill is brought forward by a private Member for the welfare of agricultural workers. It is also true that at present there is no legal protection for agricultural workers in our country in regard to their working conditions, wage structure, pension and other facilities. Therefore, I welcome this Bill. But there are some difficulties with regard to implementation and that is why I have moved some amendments and I hope they will be adopted by hon. Member, Shri Balaramji. ,

I want to draw your kind attention to clause 2, subclause (c) wherein the definition of the "employer" is given. I think the definition would creat much difficulty because it includes all the farmers, whether he is a big farmer or a small farmer. We know that there are some small farmers like *kisan* in rural areas. They are very poor and uneducated and they do not know the ABC of the existing laws. They are all farmers. They have no irrigated land. Only in monsoon season, they work in their fieldg and in other seasons they work on unirrigated land. So far as the definition is concerned, it has to be modified. If they are covered under this definition, it would be harmful to small farmers. So my suggestion is that after the word "person" this line "who holds 20 acres or more irrigated land" may be added. This would save the smaller farmers. It has been mentioned in Jhis Bill in clause 13 that there shall be an "advisory board" but in this Bill, you have not mentioned anywhere the definition of the advisory board, working of the board, powers of the board. I think when we are going to provide an advisory board, it should not be le't with, the Government. Hence my suggestion is that there shall be an advisory board of 11 persons including the Chairman, two representatives from the employers, three from the workers, two agricultural experts, and four persons may be nominated from the agricultural department.

I also want to draw your kind attention to clause 4 sub-clause (b) and (c) where it has been mentioned that the register would be 'district-wise. It will creat further difficulty for the uneducated farmers because the district headquarters is far away from the rural area. So the register should be panehayat-wise. It would be helpful both to emmployer and worker.

There are small farmers who are poor Harijans, who are uneducated. In many States, the Government has given land to Harijans on priority and suppose, they have not registered their names, then the employer and the worker both will be sufferers. Hence there should be second thought on this provision. So far as clause 7 is concerned, how his service will be counted, it also requires deep thinking.

Clause 9 provides for welfare board. It is a good think for the agricultural worker. In every industry, there is welfare board for their workers.

The pension scheme is the most ideal scheme for the agricultural worker as he is the only person who is not safe in our society. Though he works whole of his life, yet he does not get anything from the various employers. The worker fs the most unsafe person in our society in his old age. He should be guaranteed old age pension. I wish the present Government would think over it to do at least something for them.

SHRI J. S. RAJU (Tamil Nadu): *Mr. Vice-Chairman, Sir. I am very happy to take part in the discussion on a Bill, the subject of which has been talked about for years.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Just a minute. The interpretation is being arranged.

SHRI TINDIVANAM G. VENKAT-RAMAN (Tamil Nadu): He has already started interpreting.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Is it? Has he started? Then please go ahead.

SHRI J. S. RAJU: *The Agricultural workers (Minimum Wages and Welfare) Bill, that has been brought for discussion by Shri Balaram is a worthy Bill and I congratulate him and also thank him for the concern he has shown for the agricultural

♦English Translation of the Original speech delivered in Tamil.

[Shri J. S. Raju] workers. Introduced in the year 1986, the Bill has come up for discussion only now, in 1990. I am happy this Bill has, at last, seen the light of the day. Right from the year I960, say for at least two three generations there has been nation-wide demand for fixing up the minimum wage of agricultural workers. But I am sorry *to* say that nothing substantial came out so far. However, in the year 1980, the then union government announced in Parliament that it would bring a legislation to protect the rights of agricultural workers. But the government, as usual, did not fulfil its promise. Even later there were demands from various organisations and sections to which the centre turned a deaf year.

Sir, on 8th and 9th March this year, the Hon'ble Prime Minister and the Hon'ble Labour and Welfare Minister have said, while participating in a Seminar, that a comprehensive legis lation would be brought for protecting the rights of agricultural workers. I hope their promise will take shape and prove to be a turning point, a mile stone in this direction. Accord ing to planning Commission report, the agricultural workers are estimat ed to be 7 crores and 70 lakhs; roughly about 8 crores. These people are below the poverty line. They are unducated, living in unhygienic con dition without enough food and proper shelter. Almost all the them belong to SC/ST and backward Communi ties. For example, if an agricultural worker needs Rs. 600 a month to live with the minimum necessities of lif". all that he gets per month is a meagre 180 to 360 rupees. Even this income is hot regular. They can't earn all through the year. These workers get work only for about 120 to 140 days a year. If monsoon fails, they won't get even this amount of work.

There are states where the wage Is Very low-beyond imagination. I don't want to refer the names of these stateg for some Hon'ble Member could object to it. I am told, in a certain state, they daily wage is between Rs. 2 to 5. They. are poor, they don't have education, hence they are unorganised. They don't have an or ganisation to fight for their rights and compel the government to listen to their voice of reason though they have an overwhelming strength of 8 crores. Ironically, it is these workers who constitute the parent-body of national development.

Sir, every year, we proudly announce in State Legislatures and Parliament that the agricultural production has gone up than that of the previous year. But do we ever recognise and reward the invisible holy hands of the workers who toil in the fields of feed the whole nation? We extend privileges such as reservation in educational institutions and employment opportunities in Government service and public sector undertakings for various categories of people. This is a very welcome thing and I am happy about it. At the same time let us do some introspection and ask ourselves as to what we have done for the uncared for agricultural workers? We have to admit that they have been neglected all these years. It is time we swung into action to alleviate their hardship. If we see their living conditions, our senses would be crippled. They live in hovels, in hutments-in indescribably squalid conditfons. Crushed by exploitation and overworking with the added agony of under-nourishment, they wear an emaciated look.

They have no resources, no capital to bank on but for their unstinting physical labour. Therefore, fixing up a minimum wage for them could, be the least thing we should do. There is a clause in this Bill that seeks to provide Rs. 20 as the minimum wage per day. Since this Bill was introduced in 1986, the amount must have been fixed in accordence with the price index then. Now we are in 1990 and the prices of commodities

are escalating day by day. So, keeping in view the price-rise, the daily wage should be Axed at Rs. 30 at least. Mention has been made about Insurance and Prodivent Fund scheme for these workers. The^e are very valuable suggestions and indeed quite necessary for their welfar-a and I am sure the government will take note of this. Sir, I feel it won't be out of place to mention here a few schemes launched in Tamil Nadu. Elderly citizens are given Rs. 60 per month as old age pension. If an agricultural worker dies of snake-bits, his family gets Rs. 1000 as grant. If the head of a poor family dies, the family gets Rs. 1000 immediately. There are many such schemes in Tamil Nadu. The old age pension is given in JCerala also. These scae-mes have been launched after a ct-. re-ful analysis of various factors. So, the centre and also other State governments can launch these scheme-? to help the weaker sections. There are different rules in different, states with regard to the minimum wage of the agricultural workers. It differs from district to district in the same State. Even in adjoining districts like Tan-jore and South Arcot, there is difference. But what plagues the mind Is that the workers are not paid the minimum wages in most parts o* the country. However in Tamil Nadu, In case of such exploitation, the Revenue Officials intervene and get the workers' grievances redressed. This should be done all over the Country. Mere enactment of law won't do. Thero should be powerful machineiy to implement it. As in the case of other workers, a register should be maintained for enlisting the agricultural workers. There is a clause in this Bill regarding the maintenaa. 'o of attendence register of workers. But the question as to who will maintain such register remains unanswered. Thig can be decided by the go imminent Because, with whom the workers should register their navies is very important. If it is with the employers, say the landlords, the? the bona fides will be questionable. There

is also a clause to take action against the landlords who violate the law, if passed. I don't know how *fat* these are practicable.

As I have observed the pathetic plight of these people from close quarters, I know the degree of their sufferings. Even the fixing of minimum wage is not going to help them much because, they do not get work throughout the year. They hav> to be given some sort of compensation for the period when there is no work. If the Employment Guarantee Scheme is launched, I hope, these unfortunate people will be benefited. I say this because the workers in the urban areas get work almost all through the year. The workers in the village, on the other hand, get work only during planting and harvest times. No work means no food to them. This is, indeed, too cruel a situation in a democracy. Not only this, these people do not have money for conducting marriage, to have a leak-proof roof over their heads and to celeb-rate great festivals even in small scale. They borrow money on such occasions and become indebated to landlords who exploit them fcr the rest of life. So, we have to look at their problems from hunanitaria<i angles. These are the people who have become prey to the greed of landlords. In many parts of the country horror is unleashed on them. Their huts are set on fire. Th^ir women are raped brutally. Their children are forced to work for the landlord. Therefore I say, it is incumbent on the government to take nerasrary steps to protect them. The Hon'ble Labour and Welfare Minister Shri Ram Vilas Paswan is here. He is a Committed Minister working tirelessly for the upliftment of the weaker sections. I have no doubt in my mind that he will strive hard to br'ng in a legislation for the Welfare of the workers engaged in farming.

Enactment of a comprehensive law by the Centre alone can save these workers.

[Shri J. S. Raju]

I want to say a word about land ceiling. Many States enacted land ceiling Act. But only little land could be acquired for the landlords made good their escape through legal loopholes. Still the centre can enact a law with more stringent clauses snd thus acquire more land. About 2 crores of acres of such lands are with the landlords. This can be taken from them and given to the landless.

Before I conclude, I wish to say one thing. I accept the point raised by some congress friends. The condition of small and marginal farmers is no better. They spend lot of money on their little land for sowing, fertilizer and so on. But it is a paralysing pity that they don't get adequate price for their products. On the contrary, in case of other industrial products, the producers fix the price of their commodities. But the pricing of agricultural products is in the hands of middlemen and not the farmers. Such is the structure of our economy. This situation must change. We must understand that the price of agricultural products has a direct bearing on the wage of the workers. To put it differently, a good price for the produce would mean a good wage, enhanced wage for the workers.

The very purpose of this Bill is to draw the attention of the Government. If the Bill can be accepted as it is, it is well and good. Or else the Government can bring a modified, more comprehensive Bill. The National Front Government has been bringing many Bills that have been appreciated by one and all. So, I hope, keeping in mind the pathetic plight of agricultural workers, the Government will come to the House with a Bill on this subject soon. I support the Bill.

डा० अबरार अहमद खान : उपसभाध्यक्ष महोदय, श्री एन०ई० बलराम जी का यह जो बिल है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। वास्तव में यह उन गरीबों से संबधित बिल है, जिनके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं और जिन्हें वास्तव में कुछ मिलने का हक है।

अभी हाल ही में मंडल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक एक निर्धारित 27 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गयी है। तो मैं यह मानकर चलता हूं कि वास्तव में अगर इस आरक्षण का कोई तबका हकदार है तो वे ये कृषि मजदूर हैं जिनके बच्चे बहुत कम शिक्षा पा पाते हैं, जिनके बच्चे बहुत कम आगे आ पाते हैं। वास्तव में यदि देखा जाय तो यह आरक्षण उन लोगों के लिए है जो कृषि मजदूर हैं और जिनका जीवन सिर्फ मजदूरी करने में बीत गया है। जो केवल 14, 18 और 20 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं और जिन्हें कि साल के 365 दिनों में से केवल 120 दिन, 140 या 50 दिन ही काम मिल पाता है और बाकी दिन उन्हें अपने घर में बैठकर गुजारने पड़ते हैं। अगर उनके बच्चों के लिए सरकार कोई आरक्षण की व्यवस्था करती है और हमारी पार्टी का भी यही कहना है और आज सुबह भी अहलुवालिया जी ने पढ़कर सुनाया था कि आरक्षण निश्चित रूप से होना चाहिए, लेकिन उस में उन लोगों को जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, निश्चित रूप से कंसीडर किया जाना चाहिए क्योंकि जो भी हम इस प्रकार की योजना बनाते हैं, ऊपर-के-ऊपर कुछ ही लोग होते हैं जो उस लाभ को ले जाते हैं। वास्तव में देखा जाय तो वे उस लाभ के हकदार भी नहीं होते हैं। तो जो गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। और मैं बधाई दूंगा बलराम जी को, कि वे यह बिल लाए और इस बिल का मैं समर्थन करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी थोड़ी देर पहले मंडल-आयोग के बारे में, जो इन गरीब मजदूरों के बच्चों को आरक्षण देने के लिए है, उस पर चर्चा चल पड़ी थी और यह बात आई थी, केन्द्रीय मंत्री जी ने कहा कि हमने यह केन्द्र के लिए लागू किया है, बीजू पटनायक जी के वक्तव्य के संबंध में अपना स्पष्टीकरण दे रहे थे कि कुछ जगह गलतफहमी हो गई थी।...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): That point is over now. You come to the subject.

डा० अबरार अहमद खान: महोदय मैं मजदूरों के बारे में ही बोल रहा हूं कि मजदूरों को उसको फायदा पहुंचे, किसी पोलिटिकल व्यू से नहीं बोल रहा।

श्री ईश दत्त यादव : मंडल-आयोग पर आप बोल रहे थे।

डा० अबरार अहमद खान: इस पर बोलने के लिए प्रतिबंध तो नहीं लगा सकते। मैं कह रहा था कि अगर मजदूर को फायदा पहुंचाने के लिए यह नहीं है, कृषि-मजदूरों के बच्चों को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं है तो मैं नहीं समझ पाता कि इसका कोई औचित्य रह जाता है या इसका कोई मतलब रह जाता है। आप सुनने का जरा साहस रखिए, हिम्मत रखिए। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, इस बात को वे भी महसूस करते हैं कि अगर इस मंडल आयोग के आरक्षण का फायदा किसी को पहुंचना चाहिए, तो वे किसान है, मजदूर है, खेत में काम करने वाले किसान हैं, जिनके बच्चे गांव की पाठशाला के अंदर पढ़कर या पेड़ के नीचे पढ़कर आगे आते हैं, उनको इस आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इसी संदर्भ में मंडल-आयोग के बारे में बात करना उचित है, सार्थक है और मैं कह रहा था उसी संदर्भ में, कि ऐसा कहा गया कि किसी को गलतफहमी हो गई थी कि राज्य-सरकारों में इसको लागू किया जा रहा है। अब यह इस प्रकार का वातावरण क्यों बना? किसी मुख्यमंत्री ने कोई वक्तव्य दिया, मैं उनका नाम यहां कोट नहीं करना चाहता, लेकिन आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से गरीब, कृषि-मजदूरों को लाभ पहुंचाने के लिए यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने जब इसको लागू किया था तब यहां कहा था कि जो भी हमारी राज्य-सरकारें हैं, उनसे कहेंगे कि वहां भी मंडल-आयोग को लागू करें. जिससे इन कृषि-मजदूरों और उनके बच्चों को लाभ मिल सके। आज जब उन्होंने यह बात कही तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या उनका विचार उनकी राज्य-सरकारों या दूसरी राज्य-सरकारों के कहने से बदल गया है?

उपाध्यक्ष महोदय, आप भलीभांति जानते हैं, आप इस समाज को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि केन्द्र सरकार में कितने प्रतिशत नौकरियां हैं? अगर ज्यादातर नौकरियां हैं तो राज्य-सरकार की हैं और अगर राज्य सरकार की नौकरियों में इनको लाभ नहीं पहुंचाते हैं तो यह मात्र एक खोखला बनकर रह जाएगा। आज जब उन्होंने कहा कि हम यह राज्य-सरकारों के लिए इस तरह की बात नहीं कह रहे हैं, राज्य सरकारों में इस तरह का लागू नहीं किया जा रहा है तो मुझे बड़ी हैरत हुई क्योंकि मैं बड़ा प्रभावित था इनके पहले दिन के वक्तव्य से, जो यहां प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जहां हमारी सरकार है, उनसे कहेंगे कि इसको लागू करें और दूसरी सरकारों से भी मनवाने का प्रयास करेंगे। आज इस प्रकार की विरोधाभास वाली बात क्यों है? क्या यह जो माहौल बना है, उससे विचारों में परिवर्तन आया या किसी सांसद ने इस्तीफा दिया उससे विचारों में परिवर्तन आया या किसी मुख्य मंत्री

[डा० अबरार अहमद खान]

ने वक्तव्य दिया, उससे विचारों में परिवर्तन आया ? मैं नहीं समझ पाता कि यह क्या है ? अगर वास्तव में हम कृषि-मजदूर के बच्चों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, गांव के गरीब को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, एक धानी में रहने वाले को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, एक गांव में रहने वाले को लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो हमें राज्य सरकारों से कहना पड़ेगा कि वे इस आरक्षण को मानें और इसमें आर्थिक मापदंड निर्धारित करें ।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : अबरार अहमद जी, आरक्षण की बात न करो ।

डा० अबरार अहमद खान : महोदय, इससे उस कृषि-मजदूर, उस खेतिहर किसान के बच्चे को लाभ दिया जा सकता है, उसको कृषि मजदर से एक दफ्तर में बाबू की हैसियत से लाना है एक अधिकारी की हैसियत से लाना है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : मिनिस्टर साहब ने उनकी पोजीशन क्लीयर कर दी है । आप उसमें मत जाइए, जो बलराम जी का विधेयक है, उस पर अपनी बात कहिए ।

डा० अबरार अहमद खान : उसमें मैं नहीं जा रहा हूं । मैं तो मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह कह रहा हूं कि उस गरीब किसान को, उस गरीब मजदूर को, उनके बच्चों को उस मजदूरी से उठाकर ऊपर लाना है । महोदय, जो एक बार बंधुआ मजदर बन जाता है, तो उसकी पीढ़ियां बंधुआ मजदूर हो जाती हैं । सात पीढ़ियां उस जागीरदार के यहां, उस ठाकुर के यहां काम करती चली जाती हैं, जिसके किसी बुजुर्ग ने एक बार उसके यहां काम करना प्रारंभ किया हो । अगर हमें उन्हें उससे मुक्त कराना हैं तो गरीब कृषि-मजदूर के बच्चे को किसी भी तरह से ऊंचा उठाना होगा और इसके लिए यह एक प्रयास आपने किया, मंडल-आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण किया । इसी संदर्भ में यह कहना चाह रहा था कि अगर इसको मात्र केन्द्र तक ही रखेंगे, जैसा उन्होंने आज कहा, तो उससे किसी गरीब को लाभ पहुंचने वाला नहीं है । इसे आपको राज्यों में पहुंचाना पड़ेगा, राज्य-सरकारों को आपको कहना पड़ेगा । अगर इसी तरह आपने अपने विचार इतनी जल्दी बदले तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, उसका मकसद बिल्कुल पूरा नहीं होगा । जिस किसान को, कृषि मजदूर को दिन भर के 20 रुपए मिलते हैं या 15 रुपए मिलते हैं या 24 रुपए मिलते हैं, उसको आपको देखना होगा । इसके लिए आर्थिक मापदंड आपको निश्चित रूप से रखना चाहिए कि जो इस प्रकार के मजदूर हैं, जिनकी इतनी इन्कम है, वह सम्मिलित होंगे । माननीय मंत्री जी, आज सुबह मैं एक बात कहना चाह रहा था, लेकिन नहीं कह सका, जो मंडल-आयोग के संबंध में ही मजदूरों से संबंधित थी । इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूं। . . . **(व्यवधान)** . . . मैं मंडल कमीशन की बात इतनी ही कहकर आगे बढ़ता हूं. . . **(व्यवधान)** . . . कि मंत्री जी के अंदर गरीब लोगों को इसका लाभ मिले, गरीब किसान का बच्चा जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी गुलामी करता आ रहा है, उसको इस आरक्षण का लाभ मिले इस प्रकार की योजना बनाए, इस प्रकार कार्यवाही करें और राज्यों के अंदर विशेष रूप से इसको लागू करवाइए और इतनी जल्दी विचलित न हों ।

महोदय, जो बात विशेष रूप से मैं कहने जा रहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस ने और उसकी सरकार ने हमेशा से यह प्रयास किया है कि जो खेतीविहीन मजदूर है, जो वास्तव में खेती करता है लेकिन भूमि का मालिक नहीं है, उस जमीन का हकदार नहीं है, उसको जमीन मिले और उसके लिए समय-समय पर सीलिंग की पाबंदियां लगाई गई । 1951-52 में पहली बार सीलिंग लगाई गई । 1954 में दोबारा लगाई गई । 1957 में फिर लगी, 1964 में लगी, 1971 में लगी और 1974 में लगी । लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस सरकार ने सीलिंग लगाकर जब गरीबों को जमीन बांटनी चाही तो

कुछ राजा-रजवाड़े, कुछ जागीरदार उसके बीच में आ गए। रिकार्ड के अन्दर तो यह जमीन उनको मिल गई लेकिन वास्तव में उन्होंने शक्ति के बल पर उस किसान को उसका मालिक नहीं बनने दिया। कांग्रेस की जो भावना थी कि उस कृषि मजदूर को किसान बनाएं, जमीन का मालिक बनाएं, वास्तव में जो कृषि करता है उसको हक दिलाएं, उस भावना के अंदर उन लोगों के कारण दिक्कत आई। कांग्रेस में तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने राजा रहीसों से लड़ने की जो बात की है, वह आपको मालूम ही है। उन्होंने उनकी जमीनों को सीलिंग के तहत जब्त किया, प्रिवीपर्स बंद किए। चाहे हमारी पार्टी के अंदर उस वक्त इस कारण से स्प्लिट आ गई लेकिन उन्होंने इसको नहीं देखा। उन्होंने साफ कहा कि जो साथ रहना चाहें, रहे लेकिन गरीब को उसका हक जरूर मिलेगा। जमीन को उन्होंने लाकर गरीबों में बांटने का प्रयास किया। ... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Doctor Sahib, you can speak on any subject. But the subject is agricultural workers' minimum wages.

डा० अबरार अहमद खान: महोदय, बहुत सीधी और साधारण सी बात है मैं जो कहा रहा हूं। उस गरीब मजदूर को, जो कृषि मजदूर है, उसको भूमि का मालिक बनाने के लिए ... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Are you opposing the Bill or supporting the Bill.

IVR. ABRAR AHMED KHAN: I am supporting the Bill.

कांग्रेस सरकार ने जो इतनी बार सीलिंग लगाई तो उसका मकसद सिर्फ यही था कि जो लोग जागीरदार बने बैठे हैं और जमीन के मालिक बने बैठे हैं लेकिन खेती नहीं करते हैं, खेती करता है गरीब किसान, उसका परिवार, तो उन लोगों से वह जमीन लेकर इन गरीब किसानों में बांटी जाए। जो वास्तव में खेती करते हैं, उनके अंदर जमीन बांटी जाए। तो मैं आपके माध्यम से कहने जा रहा था कि हमेशा से यह कांग्रेस की रीति-नीति रही है, मगर दुख के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रयास होने के बावजूद भी कहीं ब्यूरोक्रेसी के कारण, मैं सवाई माधोपुर का रहने वाला हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां के प्रशासन ने यह कोशिश की कि गरीबों को जमीन दी जाए। एक जमीन है वहां --सवाई माधोपुर के बिल्कुल पास ही गांव माधोसिंहपुरा में 20 बीघा जमीन है। उस जमीन को गरीबों को देने का प्रायस किया गया लेकिन वहीं पास के टाइगर प्रोजेक्ट के एक डाईरेक्टर थे मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनका वहां के एक बहुत बडे अधिकारी से बडा मेल-जोल था, तो उन्होंने उनकी जमीन--कोई गंगा नगर जिले में कहीं रही होगी, जिसको उन्होंने बेच भी दिया था, तो उस बिकी हुई जमीन के बदले जो गरीबों को मिलने वाली जमीन थी 50 बीघा, उसको हथिया लिया और आज उन्होंने वहां होटल बना रखा है और उसमें ऐशो-आराम के साधन भी बना रखे हैं जब कि प्रशासन ने वह जमीन वापिस कैंसिल कर दी। राज्य सरकार ने उस जमीन को कैंसिल कर दिया। रिकार्ड के अंदर उस पर राज्य सरकार का कब्जा है, लेकिन वह ठाकुर या जमीदार आज उस जमीन पर बैठा हुआ है और वह जमीन उनके ऐशो-आराम का साधन बनी हुई है और जो गरीब का हक है, वह उसे नहीं मिल रहा है।

मैं इसी संबंध में आपको बताना चाहूंगा कि अहलुवालिया जी ने यहां फतेहपुर काण्ड का जिक्र किया था (व्यवधान)

आपको बताना चाहूंगा कि अहलूवालिया जी ने यहां फतेहपुर कांड का जिक्र किया था। वह फतेहपुर कांड (व्यवधान) राम अवधेश जी, आप तो बहुत बोलते हैं, कभी सुन भी लिया करें। मैं यह कह रहा था (व्यवधान) आप और हम अभी लम्बे समय से यहां हैं सब कुछ ले आयेंगे चिंता न करें।

[डा० अब्रार अहमद खान]

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि माननीय अहलूवालिया जी ने स्पेशल मेंशन में फतहपुर ग्राम के कुछ व्यक्तियों द्वारा जिस व्यक्ति की नृशंस हत्या का जिक्र किया था तो वह पंजाब में रहता था। वह पंजाब में आतंकवादियों की गोली से नहीं मरा, उसका सारा परिवार कृषक मजदूर था, जो फतेहपुर के अंदर कृषि मजदूरी करता था, खेतों पर मजदूरी करता था। लेकिन मुझे बडे दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि खेती मजदूरी करने वाले अपनी इज्जत और आबरू को नहीं बचा सके। उस इज्जत और आबरू को बचाने के लिए उस नौजवान को अपनी जान की कुरबानी देनी पड़ी। अपनी इज्जत और आबरू को बचाने के लिए उसको जिन्दा जलना पड़ा तो यह एक कृषि मजदूर की हालत है। अगर वह अपनी बीबी को ठाकुर के घर भेज देता जिसके यहां वह काम करती थी तो शायद उसको जिन्दा नहीं जलना पड़ता, लकिन वह कृषि मजदूर जो पंजाब में रहता था, आतंकवादियों की गोली से बचकर उसको ठाकुर के हाथों जिन्दा जलना पड़ा, क्योंकि वह अपनी बीबी की इज्जत अपने सामने लुटते हुए नहीं देखना चाहता था और महोदय, वह कौन था? मैं कहना नहीं चाहता हूं लेकिन वही जो इन्होंने कहा था कि जिसने विश्व नाथ प्रताप सिंह के इलेक्शन के समय में जिसके घर पर कार्यालय लगा, जिसके यहा वह खुद आए गए तो उस जगह पर इस प्रकार का घृणित कार्य होता है तो ज्यादा दुख हो जाता है। महोदय, मैं (व्यवधान) पासवान जी, कृषि मजदूरों से संबंधित मामला है।

उसकी बीबी कृषि मजदूर थी उस ठाकुर के यहां। ठाकुर ने कहा था कि अपनी बीबी को मेरे यहां भेजदो तो क्या मजदूरी करनी पड़ेगी। लेकिन वह नहीं गया; उसने अपनी बीबी को भेजना पसंद नहीं किया तो उसको जिंदा जलना पड़ा; उसको पकड़कर ले जाया गया, जिंदा जला दिया गया। तो यह कृषि मजदूर की आज की वास्तविक हालत है। इस दर्पण को देखने का प्रयास करिए, इस हकीकत को सुनने की हिम्मत रखिए। जो सही है वह सही है, उसको कोई नकार नहीं सकता है। जो घटना हुई है आपकी भी जानकारी में है, मेरी भी जानकारी में है, सारे देश की जानकारी में है।

महोदय, मैं एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूं। जो कृषिहीन मजदूरों को भूमि बांटने की बात है, उस भूमि को या तो हम सीलिंग के तहत किसी से लेते हैं, या उस भूमि को कोई अपने आप भूदान के अंतर्गत अगर दान करदे तो उस भूमि को हम बांटने हैं। मैं इस संबंध में जो भूदान की बात है, उस विषय पर आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की हमेशा यह धारणा रही है कि भूदान में जो जमीन आए, सीलिंग के अंतर्गत जो भी जमीन आए वह गरीबों को बांटी जाए। लेकिन दुख वहां होता है जब इस चीज का दम भरने वाले ही इस चीज के विपरीत चलें। भूदान में हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी भूदान के अंदर .. (व्यवधान)

PltOF. CHANDRESH P. THAKUR (Bih&r): I am on a point of order. The Bill is on agricultural wages. Do agricultural wages include giving. land to landless people?

THE VICE-CHAIRMAN(SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): What is the point of order?

PROP. CHANDRESH P. THAKUR: He it talking irrelevantly.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): I am on a point of order. Professor Sahib is not speaking from his seat. He should go to his seat and then raise the point of order.

THE VICE-CHAIRMAN • (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Even the hon. Minister was feeling a little tried about it. Please come to the Bill.

डा० अबरार अहमद खान : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है, प्रोफ़ेसर साहब तो बहुत इंटेलीजेंट हैं। कृषि मजदूर को अगर वास्तव में 'मजदूर' शब्द हटाकर अगर कृषक बनाना है तो जो बात मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान देना होगा। कृषि मजदूर को जो वास्तव में कृषि करता है लेकिन मजदूर है, भूमि का मालिक नहीं है, उस कृषि मजदूर की कैसे मजदूरी बढ़ायी जाए, कैसे उसकी अर्निंग बढ़ायी जाए ? तो अगर कृषि मजदूर को भूमि देना अपराध है या पाप है या आप सरकार का दृष्टिकोण जानते हैं ताकि वह दृष्टिकोण यह नहीं है कि कृषि मजदूर कृषि मजदूर ही रहे, उसकी भूमि का मालिक तक नहीं बनने दिया जाए तो उनकी बात सही है, मैं गलत हूं। लेकिन अगर मैं जो कह रहा हूं कि एक कृषि मजदूर जो वास्तव में कृषि करता है उसको उस भूमि का मालिक बनाया जाए तो फ़िर यह बात सही है और इस संबंध में मैं कह रहा था कि हम कृषि मजदूर की यदि वास्तव में स्थिति सुधारना चाहते हैं, उसकी अर्निंग बढ़ाना चाहते हैं, उसकी मजदूरी बढ़ाना चाहते हैं तो उसको भूमि देनी पड़ेगी और भूमि के लिए देने या तो हम सीलिंग के माध्यम से भूमि लेते हैं या कोई भूदान के अंतर्गत जो भूमि दान कर देता है, उस भूमि को हम. गरीब किसान के अंदर बांटते हैं, उन निर्धन किसानों के अंदर, उन कृषि मजदूरों के अंदर बांटते हैं। अगर बायबार कृषि मजदूर ही रिपीट करना है तो एक सेंटेंश में मैं तीन बार कृषि मजदूर कहता हूं, तो कृषि मजदूर में हम बांटते हैं। लेकिन दुख वहां होता है जहां खुद इस कार्य को करने वाले ही इसके विपरीत चलते हैं।

4.00 P.M.

भूदान के अंतर्गत हमारे माननीय प्रधानमंत्री, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने भी बिनोबा भावे के कहने पर भूदान किया था और भूदान करने के बाद जब उनकी पत्नी ने यह कहा कि यह आपने क्या किया, भूदान कैसे कर दिया, कैसे आपने यह जमीन दे दी, तो उन्होंने आगरा हास्पिटल से पागलपन का सर्टिफ़िकेट लेकर उस जमीन को वापस ले लिया। . . . (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Please do not refer to all those things. You must come to the Bill.

श्री राम विलास पासवान : कहां से कहां जा रहे हैं ? कोई सीमा तो रखिए।

श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश) : देखिए, किसानों को अख्तियार देने का सवाल है . . . (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : अगर आप इसमें पोलिटिक्स घुसाना चाहते हैं तो घुसाते रहिए लेकिन यदि ईमानदारी से आपको बिल पर बोलना हो, तो एक लाइन भी मैंने अभी तक बिल के बारे में नहीं सुनी।

डा. अबरार अहमद खान : माननीय मंत्री जी की बात सुनकर बड़ा दुःख हुआ ? ।

श्री राम विलास पासवान : आपकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुःख हो रहा है कि कोई चीज तो ऐसी होनी चाहिए जिस पर हम लोग ईमानदारी से विचार करें। कोई तो ऐसी समस्या हो। सभी चीजों में पोलिटिक्स घुसाने के लिए तो सारा दिन पड़ा है। पूरे दिन तो हम पोलिटिक्स करते ही हैं।

श्रीमती सत्या बहिन : आप आपनी बात कहिए। आप राजनीति से हटकर थोड़ा सोचिए।

डा. अबरार अहमद खान : मैं माननीय मंत्री जी को काफ़ी इंटेलिजेंट समझता था लेकिन आज मेरी गलतफ़हमी दूर हो रही है कि जब मेरे इतना बोलने के बाद भी उन्होंने यह कहा कि एक लाइन भी उन्होंने बिल के बारे में नहीं सुनी जब कि बार-बार कर रहा हूं . . . (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : यह सवाल कृषि मजदूरी का नहीं है, मिनियम वेजेज का है ।

डा० अबरार अहमद खान : अगर मजदूरों के स्तर को सुधारना है, कृषि मजदूरी का स्टेंडर्ड आफ़ लिविंग बढाना है, उनकी मजदूरी बढानी है तो हमें कृषि मजदूर से "मजदूर" शब्द हटाना पड़ेगा और उसको भूमि का मालिक बनाना पड़ेगा । अगर आप मजदूर को मजदूर बनाए रखना चाहते हैं तो उसकी स्थिति में कभी सुधार नहीं हो सकता है, उसका लिविंग स्टेंडर्ड सुधर नहीं सकता है । यह कभी भूमि का मालिक बन नहीं सकता । वास्तव में कृषि करता है मजदूर और उसका लाभ उठाता है वह जमींदार वह ठाकुर । अगर कृषि मजदूर का स्तर बढाना है, उसकी अर्निंग बढानी है तो इस चीज पर विचार करना होगा । मैंने जैसे शुरू में बलराम जी को मुबारकबाद दी थी कि वह बहुत महत्वपूर्ण बिल इस सदन में लाए हैं, इसके पीछे उनकी यही धारणा रही है कि उस मजदूर ही मजदूरी दर बढ़ाई जाए, उसकी इनकम बढ़ाई जाए, उसके नाम से "मजदूर" शब्द हटाकर उसको किसी भूमि का मालिक बनाया जाए । अगर उसको भूमि का मालिक जाता है तो निश्चित रूप से यह सारी समस्याएं समाप्त हो सकती है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Now, please conclude.

डा० अबरार अहमद खान : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि वास्तव में जो गरीब तबका है कृषि मजदूरों का वह वही है जो गरीब किसानों की योजनाओं के तहत लाभ पाने का हकदार है । इस संबंध में मैं आपको उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण देना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश में 1977 से 1980 के बीच वहां के कृषि मजदूरों ने, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों ने एक आंदोलन चलाया था और उस आंदोलन के कारण उनको 'डाकू' करार दिया गया था । वह लोग वह डाकू नहीं थे जिन्होंने करोड़ों रुपए लूटे हों, वे तो वह लोग थे जो 100–50 रुपए लूटकर किसी की इज्जत बचाते थे, किसी को रोटी देते थे या किसी को कपड़ा देते थे । लेकिन उन 5000 श्रमिकों को, उन 5000 आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को वहां पर मारा गया और मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उनको मारने वाले हमारी ही पार्टी के लोग थे । मैं कांग्रेस पार्टी का मेम्बर हूं इसलिए मुझे इस बात का दुःख है । वह लोग थे—उस समय के शासक राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जो कि उस समय मुख्यमंत्री का पद संभाले हुए थे । उन्होंने उन आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को मारा जो कि अपने गरीब भाई-बहनों की इज्जत बचाने के लिए काम कर रहे थे ।

मौलाना ओबैदुल्ला खां आजमी (उत्तर प्रदेश) : अपनी पार्टी के कुछ और लोगों की भी तारीफ कर दीजिए । राजीव गांधी मारने वाले थे... **(व्यवधान)** आप तस्वीर का एक ही रुख मत देखिए, दूसरा भी देखिए ।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ऐसी बातें कर रहे हैं... **(व्यवधान)**

डा० अबरार अहमद खान : मैं कह रहा हूं कि मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वह हमारी पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी जिसके उस समय शासक मुख्य मंत्री थे राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह । जब इंदिरा जी को इस बात का पता लगा तो इनको लगा कि वे इनके ऊपर कार्यवाही करेंगे तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया... **(व्यवधान)**

इस तरह से कृषि मजदूरों के ऊपर, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों पर अन्याय बढ़ रहा है, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, उन गरीबों के विकास के लिए जो काम होने चाहिए वे नहीं हो रहे हैं, तो क्या होगा ? ... **(व्यवधान)** इसलिए मैं बता रहा था कि जब इंदिरा जी को पता लगा कि इन्होंने 5 हजार आदमियों को मरवा दिया है और इनको पता लगा कि

लगा कि वे इनको पार्टी से निकालने वाली है तो उन्होंने मुख्य मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया । इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी आदमी डाकू बनना नहीं चाहता । डाकू वह गरीब आदमी बनता है जिसको अपनी आर्थिक परिस्थिति से झगड़ना पड़ता है, अपनी बहू बेटी और अपनी मां की इज्जत को बचाने के लिए कुर्बानी करनी पड़ती हैं... (**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): I will give you two minutes. Please conclude in two minutes.

डा० अबरार अहमद खान : फ़ाइडे को थोड़ा सा मौका मिलता है। मैं पांच मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

तो श्रीमन्, मैं यह कहा रहा था कि गरीब आदमी मजबूरी में डाकू बनता है। जब उसके सामने अपनी बहन बेटी या मां की इज्जत बचाने का सवाल आता है वह हथियार उठाता है। इस संबध में मैं बेकल उत्साही जी के दो शेर जो उन्होंने मुझे दिए हैं, आपकी निगाह नजर करना चाहता हूं, वे अभी यहां नहीं हैं--

मैं निर्धन हूं, मुझे दुनियां का दुर्बल लिख दिया जाये,
मेरी सदियों में कोई सुख भरा पल लिख दिया जाये।
मेरी दुनियां मेरे ही गांव के एक ठाकुर ने लूटी है,
कहां जाऊं ठिकाना मेरा चंबल लिख दिया जाये
मैं सब कुछ बेचकर एक मांग भरवा लूं,
मगर पहले कफन मेरा मेरी बेटी का आंचल लिख दिया जाये।

यह उस गरीब व्यक्ति की धारणा है, उसकी मजबूरी है कि किन परिस्थितियों में वह गरीब आदमी डाकू बनता है, हथियार उठाता है। अगर हम उनकी मजबूरियों को समझें, उनके विचारों को समझें तो शायद इस प्रकार के अत्याचार उनके साथ न हों। मैं कहना चाहता हूं कि जो कृषि मजदूर हैं वे इस प्रकार से ऋण के अंदर दबे रहते हैं कि उसकी बेटी की शादी आजाए तो शायद उसकी कई पीढियां बंधुआ मजदूरों के रूप में बंध जाती हैं। अगर उसने अपनी बेटी के हाथ पीले करने हों तो उसे ठाकुर के यहां अपनी बेटी के हाथ पीले करने के बदले में उसको लिखकर देना पड़ेगा कि हमारी अगली पीढियां तुम्हारे यहां काम करेंगी, कमाई करके तुमको देंगी। अगर तुम मजदूरी भी नहीं दोगे तो दो जून रोटी आप उनको दे देना, फिर भी वह तुम्हारा काम करेंगी। तो यह कृषि मजदूरों की दशा है हमारे यहां... (**व्यवधान**)

श्री राम पूजन पटेल : श्रीमन्, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Dr. Khan, the Minister is raising a point of order.

श्री राम पूजन पटेल : माननीय सदस्य जिस तरह की बात कर रहे हैं वह उचित नहीं हैं। कोई गरीब भी आखिर अपनी मान मर्यादा को बचाता है। गरीबों के खिलाफ ऐसी बात करना मैं समझता हूं कि उनकी मान मर्यादा का दर्मन करना है। अगर यह गड़बड़ है तो आज जो बहुत ऊंचे लोग बनते हैं वे अपनी मर्यादा कायम नहीं रखते हैं। गरीबों के लिए ऐसी बात करना उचित नहीं है। हर आदमी की अपनी इज्जत और मर्यादा होती है... (**व्यवधान**) माननीय सदस्य को संभलकर बोलना चाहिए, यह संसद् है... (**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): There is no point of order. I think the hon. Member is not denigrating poverty; he is pointing out to you what the poignant situation is.

DR. RATNAKAR PANDEY (Uttar Pradesh): It is a point of reaction.

डा० अबरार अहमद खान : उपसभाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ी हैरत हुई. मैं समझता था वह गांव के रहने वाले हैं और मैं यह समझ कर चलता था कि गांव के कृषि मजदूर की भावना वह समझते होंगे। एक गांव में रहने वाले आदमी की धारणा याद होगी, उनकी मजदूरी यदि होगी। जब मैंने इनका उत्तर सुना तो मझे बड़ी हैरत हुई कि हम तो पैंट-शर्ट पहनने वाले हैं। मैं तो इनको गांव के लिवास में देखकर प्रभावित होता था कि इनको गांव के बारे में वास्तविकता का पता होगा लेकिन पता लगा कि यह बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। गांव के अन्दर मेरा जन्म हुआ—कोटा डिस्ट्रिक्ट में सवाई माधोपुर में—वहां पांच हजार की आबादी है। वहां मैंने शिक्षा प्राप्त की। सवाई माधोपुर जहां मेरी मां की शिक्षा हुई है उस गांव में गर्मियों की छट्टियों में नौकरी करने जाता था। मैं बताना चाहता हूं हलौदा गांव जो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वह बैरवा जाति के किसानों का गांव है वहां पर किस प्रकार से कृषि मजदूरों की बहू-बेटियों को वहां के गूजरों और ठाकुरों के यहां काम करने जाना पड़ता है। जहां पर बहू-बेटियों की इज्जत से खेला जाता है। जाओ और जांच करवाओ। हजारों गांव ऐसे हैं जहां उनकी बहू-बेटियों को जागीरदार के यहां काम करना पड़ता है। उनको मजबूरी के अंदर काम करना पड़ता है। अगर वे नहीं करेंगी तो उनके आदमियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। मैं दुबारा कहूंगा कि अहलूवालिया साहब ने सुबह स्पेशल मेंशन दिया था कि पंजाब में फतहपुर के एक किसान को जिंदा जला दिया था। उसका परिवार कृषि मजदूर था और उसने अपनी बीबी की इज्जत से खेलने नहीं दिया था इसलिए उसे जिंदा जला दिया। और मंत्री यहां वक्तव्य दे रहे हैं कि आज हिन्दुस्तान के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है। गरीबों की इज्जत से नहीं खेला जा रहा है, कृषि मजदूरों की इज्जत से नहीं खेला जा रहा है। यह बहुत हैरान की बात है। **(व्यवधान)**

उप-सभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : आप इसी पर कन्फाइण्ड करिये।

डा० अबरार अहमद खान : मैं कन्फाइण्ड ही कर रहा हूं। **(व्यवधान)**

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : जब यह सरकार में थे तो बोल नहीं सकते थे। अब इनको आप बोलने दीजिए। आज इनको बोलने का मौका मिला है। वह दिल खोल कर बोल रहे हैं। **(व्यवधान)**

डा० अबरार अहमद खान : बड़ी तंगदिली की बात है ऐसा कहना कि 6 महीने में नहीं हुआ, साल भर में नहीं हुआ। गरीब की आह बता रहा हूं, उसकी हालत बता रहा हूं। मैं 51 से लेकर आज तक की बात कह रहा हूं। 47 से लेकर आज तक की बात कर रहा हूं कि गांव के अंदर गरीब की क्या हालत है। यह तंगदिली की बात है। यह दूसरे तरीके से बात करना चाहते हैं लेकिन जो सच्चाई है उससे आप मुकर नहीं सकते। जो सच्चाई है उससे पीठ नहीं मोड़ सकते कि आज किसी कृषि मजदूर की बहू-बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ नहीं हो रहा है। जिन जागीरदारों और ठाकुरों के यहां काम करती हैं उनके साथ वे किस प्रकार का व्यवहार करते हैं यह या तो व जानती हैं या जो लोग उनके सम्पर्क में रहते हैं, या उस गांव में रहते हैं वे जानते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Poverty is a concern of everybody. Everybody shares your concern. Let tig not discuss it.

डा० अबरार अहमद खान : दो-तीन मिनट में खत्म कर रहा हूं। क्योंकि माननीय मंत्री जी ने छेड़ दिया था इसलिए मुझे वस्तुस्थिति कहनी पड़ी। दर्पण बताना पड़ा।

THE VICE-CHAIRMAN. (SHRI BHASKAR. ANNAJI MASODKAR): Now please conclude. You have taken 30 minutes.

डा० अबरार अहमद खान : इस वस्तुस्थिति को जानते होंगे । लेकिन मुझे बड़ी निराशा हुई उनके विचार सुनकर । दूसरी बात मैं यह कह रहा हूं पेंशन योजना के बारे में । कृषि मजदूर जो मजदूरी करता है जिसको 18 रुपये, 20 रुपये या 22 रुपये मजदूरी मिलती है । पेंशन योजना के बारे में अभी कुछ दिन पहले माननीय श्रम मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया था और यह कहा था कि 200 रुपये प्रति मजदूर पेंशन निर्धारित कर रहे हैं---चाहे उसने एक दिन काम किया हो, दो दिन काम किया हो या दस दिन कम किया हो लेकिन उसके साथ एक कंडीशन थी कि उसका प्रोविडेंट फंड जमा हो । **(व्यवधान)** आपने यह कहा था कि चाहे उसने एक दिन काम किया हो, दस दिन काम किवा हो हमने उसके लिए दो सौ रुपये महीना पेंशन निर्धारित कर दी है लेकिन साथ ही उसमें कंडीशन यह रख दी है कि बशर्ते उसका प्रोविडट फंड जमा हो । लेकिन शायद हिन्दुस्तान में कोई कृषि मजदूर ऐसा होगा जिसका कहीं प्रोविडेन्ट फण्ड का खाता होगा या उसका प्रोविडेन्ट फण्ड जमा होता होगा । मेरी जानकारी में तो नहीं है और अगर मंत्री महोदय की जानकारी में हो तो वे अवश्य बता दें । मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने सप्लीमेंटरी के रूप में बीड़ी मजदूरों के बारे में पूछा था और मंत्री महोदय ने उसका उत्तर भी दिया था या कृषि मजदूरों ने कौन सा ऐसा अपराध किया है कि उनका प्रोविडेन्ट उनका नियोक्ता यानी जिसके यहां वह काम करता है वह जमा नहीं करता जिसके कारण वह पेंशन से वंचित रह जाता है । मंत्री महोदय इस बात पर गहराई से विचार करें और देखें कि कृषि मजदूरों को पेंशन की सुविधा जिस प्रकार से अन्य मजदूरों को मिलती है उसी प्रकार से मिला करे । अगर उसके प्रोविडेन्ट फण्ड के पैसे जमा नहीं होते हैं तो वह जमा करवायें और उनको पेंशन दिलवायें ।

दूसरी अंतिम बात मैं यह कहना चहता हूं कि मजदूरी के साथ साथ कृषि मजदूरों के राजनैतिक अधिकार भी बहाल करने की आवश्यकता । मैं पूछना चाहता हूं कि कृषि मजदूरों को कितने राजनैतिक अधिकार हैं ? यह बात हम सभी भलीभांति जानते हैं कि बंधुआ मजदूरों को कितने राजनैतिक अधिकार प्राप्त हैं । उसका वोट भी या तो जिसके यहां वह काम करता है वह डाल देता है या अगर वोट डालने जाता भी है तो मालिक के कहने के मुताबिक वोट डालता है और अगर अपनी मर्जी से वोट डालता है तो या तो निकाल दिया जाता है या जिन्दा नहीं रहता है । इस प्रकार की स्थिति आज गांवों के अन्दर है । कृषि मजदूरों की राजनैतिक स्वतंत्रता ठाकुरों और जमींदारों ने खरीद ली है । इसलिए आप इन मजदूरों की राजनैतिक स्वतंत्रता को बहाल करें, उन्हें उनके अधिकार दिलायें ताकि वे अपने मत का प्रयोग कर सकें । उन पर किसी प्रकार का अंकुश लगा हुआ न हो । उस अंकुश से उन्हें मुक्त करें ।

DBt YELAMANCHILI SIVAJI (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, while welcoming the Private Member's Bill of Mr. N. E. Balaram, I would like to state that as per the present population census, the number of people who are residing in rural areas and are dependent on agriculture is 60 crores, among whom those who actually work on agriculture number 20 crores. And the net domestic product in agriculture is something like Rs. 1, 40, 000 crore. This means, even if the entire amount is distributed among all the people who live in rural areas and depend on agriculture, without giving any share to the land-owners, it may not touch even ten rupees per day per person. So, under these circumstances, it is desirable that the demand for paying Rs. 20 per day has to be examined in its right perspective. Unless farm prices are raised, it only amounts to political gimmickry to demand Rs. 20 or Rs. 30 as the minimum wages.

Enforcing Minimum Wages Act is all the more difficult because the agricultural labourers are spread over lakhs of villages and the 6upply of labour is much more than the demand

[Dr. Yelamanchili Sivaji]

during the lean season. Even if the Government succeeds in forcing the employers to pay what their economic condition allows them to pay, the outcome would be disastrous. For example, in case of Kerala where the laws on minimum wages for agricultural workers were enforced in right perspective, the foodgrains production went down because the producers there switched over to other commercial crops, plantation crops. As we know, the production of foodgrains demands much more inputs in the form of agricultural labour than the production of plantation crops. So the producers and farmers there, by switching over to plantation crops, reduced the employment potential for the agricultural labour which, in fact, went down. This is one of the reasons for the negative growth of foodgrains production in Kerala. However, in certain States like Punjab, where the production is high and the farmer gets reasonable remuneration, the demand for agricultural labour is also very high. Under these circumstances, more lasting and beneficial means of raising the wage level are to considered. Like intensifying agriculture, establishing food processing units in rural areas, launching employment guarantee schemes, like the right to work, and other things. For intensification and diversification of agriculture, processing of farm produce should be taken up in the village itself. That amounts to vertical intensification of agriculture. And, by introducing a multiple cropping system, horizontal intensification may be taken up. This two-fold method of vertical and horizontal intensification of agriculture alone holds the key to all the ills in the rural areas like poverty, unemployment and low wages. Till the intensification of agriculture, both vertical and horizontal, reaches a level when it would absorb the surplus rural manpower, the only way left for the agricultural labour is to incorporate the right to work in the Statute Book. That is how the National Front Government came out with the proposal to introduce the right to work in the Statute Book.

Unfortunately, the Congress Government that ruled this country for the last 40 years denied this because it involves a greater transfer of resources to the villages—for which the Congress people were not prepared. So, the remedies recommended by politicians and the urban elite for the removal of rural poverty have one common feature, that is, these are all based on the assumption that the problem of rural poverty can be solved by adjustments or redistribution of incomes and wealth in the rural society itself. But, unfortunately, this approach is not correct. It only gives a double advantage to those who enunciate and advocate this. The first advantage is, by advocating the cause of the poor and the landless, the urban elite may claim that they are progressive. The second aspect is, by putting forward this argument they make sure that the interests of the urban elite are not touched at all. Unless some urban property and urban wealth is transferred and percolates to the rural areas, there is no point in dividing the rural population both vertically and horizontally, into several pieces, like agricultural labour, Kulaks, landless labour, SC labour, SC farmers, BC farmers and so on.

Sir, there is a sweet in northern India, called *barfi*. But *barfi* cannot be eaten whole at one time. So, what the *barfi* maker does is that he cuts it into several pieces, both horizontally and vertically and then only the whole thing is consumed. That is how the urban elite has made it a point to divide the rural society, both horizontally and vertically—which is not desirable.

Sir, unless the production capacity in the agriculture sector is enhanced, it is not possible to spend more. The production capacity of the agriculture sector depends upon the size of the holdings and the level of techno-

logy that we use. Unfortunately, both of them are very low in this country. So, first of all, they should be enhanced.

And we ignore the fact that rural poverty is mainly due to exploitation and deprivation of agriculturists by the urban society and the urban elite. No amount of redistribution within the village society is going to eradicate rural poverty and help the rural poor Even programmes of increasing agricultural productivity will not succeed unless it is ensured that the benefits of higher production accrue to the producers. Unfortunately, under the present set-up the benefits of higher production reach neither the grower nor the consumer but are swallowed by the middleman. So, unless it is ensured that fair and remunerative prices are given to the farmer, it is not possible to percolate the benefits of higher production to the lower level. So, I would like to appeal to all of you to consider this aspect and see that the wealth that is there in the urban area is redistributed to the rural poor also.

Thank you very much.

*SHRI PRAGADA KOTAIAH: (Andhra Pradesh): I fully support the Agricultural workers (Minimum Wages and Welfare) Bill, introduced by the Hon. Member Shri Balaram which intends to facilitate agricultural workers minimum wages and also some other facilities. Agricultural workers are an unorganised sector. There are large farmers, marginal farmers and small farmers. They work on partnership basis. But the income they earn is not upto the expectations. Their standard of living did not improve. Whether he is a large farmer, marginal farmer or a small farmer all face the same problems. Agricultural labourers are not organised and thus face many problems. We have to think how they can be organised and how they can earn their living.

Long back in 1947 we got our Independence. It's now 1990. So many governments have changed both in the Centre and States. But what ever we have been saying remain mere words. *We* wanted to reduce the number of agricultural labourers. But, could we do that? We should think why the number of agricultural labourers did not reduce. Apart from that, since agriculture is a reasonal job we find people migrating from villages to towns, to pull rikshaws or do some other odd jobs and they live in such an unhealthy and miserable conditions. Even then the life of agricultural labourer has not improved. However sympathetic we talk about farmers we have done very little for them. There is a vast difference between factory workers who are organised and agricultural labourers who are unorganised. Let me give an example to show what I mean by unorganised sector. Agricultural labourer has to work even in the night in fields. As he is working a poisonous snake may sting him. He has to die in the field. There is no protection for him in this country. But the factory workers have all the facilities. Even by his own carelessness if the factory worker losses his finger, medical facilities are available for him. He can avail of Medical leave till he is cured and he is also paid during his leave period. There are m/any other facilities which factory worker enjoys. I do not have any hope that the agricultural labourers will get the minimum wages even if we make a constitutional provision. Why are these Minimum Wages Acts provided? According to the provision in this Act the minimum wages arc fixed. How are you going to implement them? What is the effective machinery to strictly enforce the minimum wages that have already been fixed under the Minimum Wages Act? Practically we are not covering the landlords. We are not covering

*English Translation of the orginal speech delivered in Telugu.

[Shri Pragada Kotaiah]

the big agriculturists. We are not Covering the agricultural labour. Here, in a factory there is the employer. Employers are (there. They are registered under a particular law. They are subjected to factory laws; they are subjected to the Industrial Disputes Act and, therefore, they are eligible to all the benefits. But what is that the agricultural labourer, the marginal labourer or the marginal agriculturist or the small agriculturist, who has been working in the field and who is subjected to accidents, is expected to get? Suppose a snake bites him and he automatically dies. What is the protection given to the agricultural labourer? We are going to support the agricultural labourer, but what is the fundamental and basic reason for our lagging behind in ensuring that they also enjoy the benefits that the workers in other sectors are enjoying.

Another- question is that the agricultural worker has not been able to get employment throughout the year. It is said it is not possible. Where there is a three cropping pattern, it may be possible to get employment for nine to ten months in a year. Even there for two to three months they have to remain without employment. Is not there any scheme before this Government to ensure that during these two to three months in a; year when they are without work, they are kept engaged in some employment? In areas where there is no abundant water facility, no abundant irrigation facility and no three-cropping pattern, they get employment only for four or five months in a year and for the rest of the period they are without employment. How are we going to provide employment for the rest of the period in a year? Have we thought how we are going to provide alternative employment to all these people during these periods when they are without employment? It is not only the agricultural labourers, but several other classes of artisans in the rural parts of the country. Do you think that the Minimum Wages Act in their cases is being enforced in the States? No, that is not being enforced. According to the Minimum Wages Act, their wages have to be revised once in two years at least, but there are State Governments whch have not for two years, not for three years, not for five years, but for years together have not revised the minimum wages. When we approached the Government of India, the Government of India took no action. Taking advantage of the unemployment among ail these agricultural workers, the handloom workers and others, the Government formula was not followed and no ways and means were explored to ensure full employment to them.

During the drought, when people were given employment in the affected areas, even there the minimum wages already fixed under the Act were not given to them. They have gone to the court and judicial judgments are there. Even during times of drought and near famine conditions, they were not paid the minimum wages and the Government was keeping silent.

For instance, the Government has introduced the Janata cloth for the benefit of the handloom weavers. This is what they say. But, in fact, it is not for the benefit of the handloom weavers, but for the benefit of the consumers. The Government has been taking advantage of the unemployment situation among the handloom weavers and they are paying pittance to them for the production of the Janata cloth. When we handloom weavers approached the Supreme Court of lndia through telegrams, our telegrams were accepted as writs and an adjudicator was appointed. The Central and State Governments preferred to contest the petition, but they did not agree to pay the minimum wages. I do not know how the Bill, even if it is adopted here, is going to be enforced by the Sate Governments, because the Central Government is not going to

implement it. After all, it is the States which have to implement the decisions. Unless we identify the agriculuristg and farmers, who are employing the agricultural workers, how it is possible for any machinery to enforce the minimum wages for the agricultural workers? Agricultural workers are not only landless poor people...

Why this country is facing problems? Let me tell you one thing. In 1954 I've been a legislator for a province. In a village uncultivated government lands were there. We distributed these lands to landless labourers.

Landlords have occupied those lands. The agricuttural workers have no land. They were denied from occupying those lands...

♦Then what happened there were Al-most all the agricultural workers have become helpless. They have started running praja court. Then when the matter was brought to the notice (of the then Chief Minister of Andhra Pradesh, he had set right the whole matter, divided the land and saw to it that all the land was 'given to the agricultural labourers.

*We have to organise non-farm jobs to agricultural workers. Do you know that all the grazing lands have been occupied by the rich people. Where is the grazing land in the villages? Even if you are going to give a milch-ing cattle to the agricultural labourer and if he wants to have its for his own benefit and carry on with the dairying during the off season, there is not land for grazing the cattle. Where to get the grass? Where to get the land? Are we in a position to take back all the grazing lands and give it to the poor people to feed their cattle on those lands? All those practical things have to be looked into. Without that, it is not possible to help the agricultural labourers. There are several artisans in the rural areas and among them there are cobblers. May I know from whom our Government is purchasing shoes? Our Government is purchasing shoes from Tata and Birlas and also big people. But in rural areas the cobblers are prepared to manufacture shoes for the police in the States. The Government could have at least purchased the raw material required for the manufacture of shoes and made them available to the cobblers. By this they could have provided employment to the cobblers during the off-season. May i know from the Minister whether any single State Government is doing this thing? No. We are depending upon the rich people. We always talk about the landlords and the land reforms. But what about the big people in upper strata of society. How many big hotels are there? How many industries are there? How much, capital has been given to them? Today, more than Bs- 500 crores have been invested in the textile industry and we find today several hundreds of mills are closed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Please conclude.

SHRI PRAGADA KOTAIAH: I am only referring to the agricultural labourers and the poor people in the rural areas. Why are they poor? They are poor bceause of the policies which we are pursuing. Unless there is a rapid change in the attitude of the Government, unless there is a rapid evolution in all the measures which ww take up, it will not be possible for all the agricultural workers to get Rs. 20 or 25 wages per day. How it is possible? When the agriculturists are not able to get a remunerative price for their produce, how it is possible for the agriculturists to pay Rs. 20 or 25 to the agricultural labourers. We have all sympathy for the agricultural labourers. His standard of living must go up. How it is possible when we are not in a position to give a remunerative price to the agriculturists for the produce which he produces. There are capitalists. When we produce cotton, it goes to the Cotton Corporation of India and other big mills. When

[Shri Pragada Kotaiah]

we produce tobacco that goes to exporters. When we produce cloth, that goes into the hands of. the big people. Ultimately the producer is getting less and the consumer is being exploited- So all these things are mixed up. We cannot separate one issue from the other. How it is possible to separate one issue from the other? We have to combine...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Please conclude now.

SHRl PRAGADA KOTAIAH: After all I have not gone out of the way. I am only dealing with the agricultural labour and you have given hours and hours to other friends. Why do you ask me to conclude in ten minutes? I don't understand. I have not gone out of the way. I am confining myself to the subject because I am also a handloom... *(Interruptions)*.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): How much time you want?

SHRI PRAGADA KOTAIAH: I will be completing it in four-five minutes. I do not want much time. Then I said, the minimum wages are being fixed under the Minimum Wages Act. Why the State Governments have not implemented it? Why the Centre has not taken care to implement the Minimum Wages Act? That is what I have questioned. See, we have represented the matter through telegrams to the Chief Justice of the Supreme Court of India. That has been accepted as a writ and that has been given to an eminent jurist and he has filed a regular writ. That has come up for hearing and that has been admitted. Why the State Government and the Central Government not come forward *to* plead against the writ petition? After all, what is it the handloom weavers have asked for? They have asked only the minimum wages and not anything extra. What is the sub-sidy you give? After all, you imagine the social justice the consumer is getting. He is getting a subsidy of 19" rupees per saree whereas the hand- ***i loom weaver, producing Janata saree, is getting only Rs. 17 rupees. He is required to get 20 rupees under the y Minimum Wages Act. What is the social justice we are having? I congratulate Mr. N. E. Balaram for having brought this Bill but I am very doubt- » ful whether the present Minister is capable of enforcing welfare measures for the benefit of the poor people in this country. That is my doubt because with the experience of not one year but with the experience of forty years, I have been telling this. Legislations are there but there is none to enforce them. That is the actual condition. Therefore what we lost is only this" ^ thing. The Government either here or at the State level the people in power; wherever they are, either at the Centre or in the States, they must have a political will. There is a comprehensive legislation to cover the employers and the employees in all the decentralised sectors to ensure pay ment of minimum wages, linked up with DA from time to time, based upon the cost of living. DA is meant only for the pe'ople in service and not for the people working in the field, not for unorganised workers. All DA *y~* increases from time to time it is to be linked «B only with the pe'ople in service, the bureaucracy but not to the poor people, actually producing the goods required by the people in this country. Therefore, what we should see is that our minimum wages should be linked «B with the day-to-day increase in DA and also when we are j subjected to accidents we must be eligible for free medical treament. Till such time we resume work, during that period, the wages payable to me are to be paid by the employers and then Ji there must be - a welfare fund. It is not a big thing to create a welfare fund. The Director General of Labour Welfare has appointed a Committee some three years back to look after the welfare of the powerloom workers and also the handloom weavers. There

the Cornmittee has suggested introduction of welfare fund for the benefit of powerloom workers and also the handloom weavers but that has been put in colfj storage. The Labour Minister may be more anxious for the welfare of the toiling masses in this country. There are more than 10 lakhs of powerloom workers. Why there are not subjected to rules? Why are they not subjected to the Industrial Disputes Act? It is because they are run by financiers. They are not run by the workers. They are run by financiers. Therefore they are not subjected to labour and industrial laws. Therefore, I would like to urge upon the Government to be sincere and to see that a comprehensive legislation is brought for the welfare of the workers in the unorganised sectors in the rural parts of the country on par with the organised labourers, on par with the service-men working in towns and cities for their own benefit. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Hon. Members,, there is a request from Shri Ram Awadhesh Singhji. When his Bill was called it was not introduced. But now he is making a request to introduce it. If the House agree, I will permit him to introduce the Bill. Should I permit him?

fiHR) VISHVJIT P. SINGH (Maharashtra): What is the Bill about?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): It is the Companies (Amendment) BiU. It was called. But he was not there to introduce it. I think it is not a very good practice. It is not a correct practice also to stop the debate and introduce it. When a Member is called, he must be present. He was not present then. But he is making a special request to the House. I think it is for the House to decide it. 483 R. S -10.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI JAGDEEF DHAN-KHAR): The Vice-Chairman may accede to the request of the hon. Member.

डा. रत्नाकर पाण्डेय : इनको वजनबद्ध करिए कि आगे से ऐसी गलती न करें ।

SHRI JAGDEEP DHANKHAR: He is normally present in the House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Please introduce.

THE COMPANIES (AMENDMENT) BILL, 1990.

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि--

कंपनी अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

The question was put and the motion was adopted.

श्री राम अवधेश सिंह : मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

THE AGRICULTURAL WORKERS (MINIMUM WAGES AND WELFARE) BILL,1986-CONTIK

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA; Mr. Vice-Chairman, the Bill seeks to fulfil a need which has been existent for the welfare of the agricultural workers and there can be no two opinions about the efficacy and the need of the Bill. Therefore, I would welcome it and I would also congratulate Mr. Balaram for having brought this Bill. However, I will say that in the definition of the term